जालौन पुलिस

दिनांक –09.10.2024

श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 लखनऊ महोदय के निर्देशन में ऑपरेशन कोन्विक्शन के तहत प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाने हेतु श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन कानपुर एवं पुलिस उपमहानिरीक्षक झांसी परिक्षेत्र झांसी के पर्यवेक्षण में पुलिस अधीक्षक जालौन द्वारा सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारों को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था।

जालौन पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना एवं अचूक साक्ष्य संकलन तथा डीजीसी क्रिमिनल व उनकी टीम, कोर्ट पैरोकार द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुये कुल 02 अभियोग में 02 अभियुक्तगण को मान0 न्यायालय द्वारा अधिक से अधिक सजा व अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

मुकदमें में सजा पाये अभियुक्तगण का विवरण निम्नवत है –

प्रकरण प्रथम – अभियुक्त सन्तोष पुत्र दौलत सिंह नि0 ग्राम चन्दुर्रा थाना कोंच जनपद जालौन द्वारा एक व्यक्ति की हत्या करने के सम्बन्ध में कोतवाली कोचं में मु0अ0सं0 447/2019 धारा 302/504/506 भादवि के तहत अभियोग पंजीकृत हुआ था, जिसकी विवेचना सम्पादित कर अभियुक्त उपरोक्त के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया।

जालौन पुलिस टीम एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी कराते हुये दिनांक 09.10.2024 को मा0 न्यायालय एडीजे प्रथम कोर्ट उरई, जनपद जालौन द्वारा अभियुक्त सन्तोष उपरोक्त को धारा 304/504/506 भादवि में दोषी पाते हुये 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 13,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

प्रकरण द्वितीय- अभियुक्त खचेरे पुत्र रतीराम नि0 जरिया थाना पूंछ जनपद झांसी द्वारा कोतवाली कोंच क्षेत्रान्तर्गत की गयी मारपीट की घटना के सम्बन्ध में कोतवाली कोंच में मु0अ0सं0 269/1996 धारा 323/324/342/504 भादवि के तहत अभियोग पंजीकृत हुआ था, जिसकी विवेचना सम्पादित कर अभियुक्त उपरोक्त के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया।

जालौन पुलिस टीम एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी कराते हुये दिनांक 09.10.2024 को मा0 न्यायालय अपर सिविल जज कोंच, जनपद जालौन द्वारा अभियुक्त खचेरे उपरोक्त को दोषी पाते हुये जेल में बितायी गयी अवधि एवं 5,500/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।